हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़

की

सत्तावनवीं बोर्ड बैठक

का

कार्यवृत्त

स्थानः– कार्यालय हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़

दिनांकः 27 दिसम्बर 2018

समय– 11:00 बजे पूर्वाह्न

सुनियोजित विकास "आपकी आशा – हमारा ध्येय"

हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण की सत्तावनवीं बोर्ड बैठक दिनांक 27/12/2018 का कार्यवृत्तः

दिनांक 27/12/2018 को आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में कार्यालय हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़ में प्राधिकरण बोर्ड की सत्तावनवीं बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

01	सुश्री अनीता सी. मेश्राम	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ	अध्यक्ष
02	श्री आलोक सिंह	उपाध्यक्ष, हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड	उपाध्यक्ष
03	सुश्री अदिति सिंह	जिलाधिकारी, हापुड़	सदस्य
04	श्री अरूणेन्द्र सिंह राणा	संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ	सदस्य
05	श्री के. पी. सिंह	अधीक्षण अभियंता, उ0 प्र0 जल निगम, प्रथम मण्डल, मेरठ	सदस्य
06	श्री कृष्ण मोहन	वास्तुविद नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ (प्रतिनिधिः नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ)	सदस्य
07	श्री एस. सी. गौड़	मुख्य समन्वयक नियोजक, एन0सी0आर0 नियोजन सेल, गाजियाबाद	सदस्य
08	श्री महेन्द्र सिंह	सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, हापुड़ (प्रतिनिधिः अधीक्षण अभियंता, बुलन्दशहर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बुलन्दशहर)	सदस्य
09	श्रीमती गीता गोयल	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, पिलखुवा	सदस्य

उपाध्यक्ष
(आलोक सिंह)
पी0सी0एस0
उपाध्यक्ष

अध्यक्ष
अनीता सी0 मेश्राम
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

बैठक का कार्यवृत्त व निर्णय निम्नानुसार हैं:—

मद सं0	विषय	निर्णय
1	प्राधिकरण की छप्पनवीं बोर्ड बैठक दिनांक 19/06/2018 की कार्यवाही के कार्यवृत्त की पुष्टि।	छप्पनवीं बोर्ड बैठक दिनांक 19/06/2018 की कार्यवाही के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2	प्राधिकरण की छप्पनवीं बोर्ड बैठक दिनांक 19/06/2018 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।	छप्पनवीं बोर्ड बैठक दिनांक 19/06/2018 की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत ऐसे तलपट मानचित्रों, जिनमें बाहय विकास शुल्क की धनराशि अभी तक जमा नहीं करायी गयी है, में संबंधित विकासकर्ताओं से बाहय विकास शुल्क की अवशेष धनराशि जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3	टैक्सटाइल सेंटर योजना के अंतर्गत आवंटित औद्योगिक भूखण्डों की रजिस्ट्री हेतु निर्धारित अंतिम तिथि को दिनांक 16/08/2018 से बढाकर दिनांक 15/09/2018 किये जाने के संबंध में।	बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।
4	हापुड़—पिलखुवा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत पिलखुवा महायोजना—2021 से प्रभावित राजस्व ग्राम— हिण्डालपुर, तहसील— धौलाना, जिला— हापुड़ के खसरा संख्या— 53 पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत किफायती आवास योजना हेतु हापुड़—पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा अर्फोडेबल हाउसिंग के निर्माण हेतु पिलखुवा महायोजना—2021 के भू—उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।

उपाध्यक्ष
(आलोक सिंह)
पी0सी0एस0
उपाध्यक्ष

अध्यक्ष
अनीता सी० मेश्राम
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

5	हापुड़–पिलखुवा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत पिलखुवा महायोजना–2021 से प्रभावित राजस्व ग्राम– खेड़ा देहात, तहसील– धौलाना, जिला– हापुड़ के खसरा संख्या– 630, 632, 1000 एवं 1004 पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (आर्फोडेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप) योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवासीय योजना हेतु यूरेका बिल्डर्स प्रा0लि0 द्वारा अर्फोडेबल हाउसिंग के निर्माण हेतु पिलखुवा महायोजना–2021 के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।
6	प्राधिकरण की ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत कृषकों को 6 प्रतिशत आवासीय भूखण्ड दिये जाने हेतु योजना के पूर्व भाग में 1.6964 हेक्टेयर भूमि का भू–उपयोग ट्रान्सपोर्ट नगर से आवासीय में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श के उपरान्त बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि कृषकों को 6 प्रतिशत आवासीय भूखण्ड दिये जाने संबंधी प्रकरण का पुनः परीक्षण कर लिया जाये। संबंधित कृषकों से वार्ता कर उन्हें व्यवसायिक भूखण्ड दिये जाने की सम्भाव्यता पर भी विचार कर सुविचारित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
7	ट्रांसपोर्टनगर योजना के अन्तर्गत उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय के भवन निर्माण हेतु सैक्टर दर पर भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में।	बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
8	विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं के संबंध में।	विचार विमर्श के उपरान्त बोर्ड द्वारा सभी पांच प्रस्तावों पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपाध्यक्ष
(आलोक सिंह)
पी0सी0एस0
उपाध्यक्ष

अध्यक्ष
अनीता सी० मेश्राम
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

9	मूल कृषकों को आवंटित 06 प्रतिशत विकसित भूमि के भूखण्डों पर लिये जाने वाले विकास शुल्क की दर के संबंध में।	विचार विमार्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक, प्राधिकरण के मुख्य अभियंता, प्राधिकरण के प्रभारी (भू–अर्जन), प्राधिकरण के सहायक नगर नियोजक तथा मुख्य समन्वयक नियोजक, एन.सी.आर. सेल, गाजियाबाद के प्रतिनिधि की समिति गठित कर प्रकरण का विस्तृत परीक्षण करा लिया जाये तथा सुविचारित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
10	प्राधिकरण की आनन्द विहार आवासीय योजना के जी ब्लॉक में जोहड़ के रूप में दर्ज भूमि पर निर्मित एम0आई0जी0 श्रेणी के डुप्लेक्स भवनों की रजिस्ट्री कर कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श के उपरान्त बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भूमि का स्वामित्व प्राप्त किये बिना ही योजना का तलपट मानचित्र तैयार कराने हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर सुविचारित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
11	मै0 मैरिनो इण्डस्ट्रीज लि0, हापुड से संबंधित प्रकरणों के संबंध में।	विचार विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिया गया– 1. मै0 मैरिनो इण्डस्ट्रीज़ लि0 के परिसर से लगी 3150 वर्ग मी0 भूमि के हस्तांतरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि मै0 मैरिनो इण्डस्ट्रीज लि0 से यह सूचना प्राप्त कर ली जाये कि इकाई द्वारा इस भूमि का उपयोग किस प्रयोजन हेतु किया जायेगा। हस्तान्तरण किये जाने पर इस भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता का भी परीक्षण कर लिया जाये। वर्तमान सेक्टर दर रू0 12500 प्रति वर्ग मी0 का अनुमोदन शासन स्तर से प्राप्त होने के उपरान्त भूमि का आवंटन किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष
(आलोक सिंह)
पी0सी0एस0
उपाध्यक्ष

अध्यक्ष
अनीता सी० मेश्राम
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

2. इकाई के परिसर से लगे आवासीय भूखण्डों को हस्तान्तरित कर बफर जोन विकसित किये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत 4573.24 वर्ग मी0 भूमि को बफर जोन के रूप में विकसित किये जाने हेतु निम्न प्रतिबन्धों के साथ भूमि का कब्जा हस्तान्तरित किया जा सकता है–

(1) बफर जोन के रूप में इकाई द्वारा विकसित की जाने वाली भूमि का स्वामित्व प्राधिकरण का ही रहेगा।

(2) ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड व स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित भूखण्डों की भूमि के मूल्य की अंतर धनराशि रू0 2.74 करोड़, बफर जोन के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली भूमि के मूल्य रू0 5.72 करोड़ तथा 32 भूखण्डों के फ्री–होल्ड विकय विलेखों के पुनः पंजीकरण पर होने वाले व्यय रू0 0.62 करोड़, इस प्रकार कुल धनराशि रू0 9.08 करोड़ की देयता इकाई को वहन करनी होगी।

3. इकाई के परिसर के अन्तर्गत स्थित 3600 वर्ग मी0 भूमि को अर्जन मुक्त किये जाने के संबंध में इस शर्त के साथ शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि को अर्जन मुक्त किये जाने से प्राधिकरण को होने वाली किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि को इकाई को वहन करना होगा।

उपाध्यक्ष
(आलोक सिंह)
पी0सी0एस0
उपाध्यक्ष

अध्यक्ष
अनीता सी० मेश्राम
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

अतिरिक्त मद सं0 12/01	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15/11/2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 को उत्तर प्रदेश में अंगीकृत किए जाने के संबंध में।	बोर्ड द्वारा अंगीकार किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।

28/11/18

(आलोक सिंह)
उपाध्यक्ष
हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़

(आलोक सिंह)
पी0सी0एस0
उपाध्यक्ष

(अनीता सी. मेश्राम)
आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/
अध्यक्ष, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़

अनीता सी० मेश्राम
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ